

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 255]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 23 सितम्बर 2010—आश्विन 1, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2010

क्रमांक 11043/डी. 216/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 15-09-2010 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 23 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम, 2010

विषय सूची

खण्ड

अध्याय-एक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ
2. परिभाषाएं

अध्याय-दो

3. अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस)
4. अनुज्ञा पत्र अभिप्राप्त करने में असफल होने पर अर्थदण्ड (जुर्माना)
5. अनुज्ञा पत्र अभिप्राप्ति के लिए शुल्क
6. अनुज्ञा पत्र की मंजूरी या अन्यथा
7. अनुज्ञा पत्र हेतु शर्तें
8. अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण
9. अनुज्ञा पत्र का निरस्तीकरण अथवा निलम्बन
10. अपील
11. उपचर्यागृह अथवा क्लिनिकल स्थापना का निरीक्षण

अध्याय-तीन

12. दण्ड और जुर्माना
13. उपचर्यागृह/क्लिनिकल स्थापना के द्वारा जानबूझकर की गई उपेक्षा के संबंध में प्रावधान
14. पंजीकृत सोसायटी द्वारा अपराध
15. इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए न्यायालय की सक्षमता
16. अपराध की प्रकृति

अध्याय-चार

17. सद्भावना में की गई कार्यवाही का संरक्षण
18. नियम बनाने की शक्ति
19. इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञापन समझे जाने वाले संस्थान
20. निरसन

